लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

बिहार सरकार

पत्रांक : BRLPS/LSBA/Proj/149/20/122 **दिनांक :** 24.06.2020

प्रेषक,

बालामुरूगन डी॰, भा॰प्र॰से॰,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
सिवान, गया, पटना, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण एवं सारण।

विषय : **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये Statements of Facts के कतिपय बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग : **(1) इस कार्यालय का पत्रांक 64 दिनांक 02.06.2020 एवं पत्रांक 45 दिनांक 19.05.2020.**
(2) प्रधान लेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार का अर्द्धसरकारी पत्र Report (GS&ES)/AR-18-19/2020-21 दिनांक 26.05.2020.
(3) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार का पत्रांक 461281 दिनांक 24.04.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार का पत्रांक (GS&ES)/AR-18-19/2020-21 दिनांक 26.05.2020 एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार का पत्रांक 461281 दिनांक 24.04.2020 के आलोक में इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 64 दिनांक 02.06.2020 एवं पत्रांक 45 दिनांक 19.05.2020 के माध्यम से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन के Statement of Facts के कतिपय बिन्दुओं यथा 2.8.5.1, 28.52, 28.6.1, 2.8.6.2, 2.8.6.3, 2.8.6.4, 2.8.6.5, 2.8.67, 2.8.6.9 एवं 2.8.6.11 पर अनुपालन प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग एवं राज्य कार्यालय को उपलबध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु मात्र मधुबनी एवं सारण जिलों से अस्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, शेष जिलों से अप्राप्त हैं जो अत्यंत खेदजनक है।

मधुबनी एवं सारण जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि महालेखाकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना मानक के अनुरूप नहीं है। विदित है कि वांछित प्रतिवेदन की उपलब्धता प्रधान लेखाकार (लेखापरीक्षा) को उनके अर्द्धसरकारी पत्रांक के आलोक में एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जानी है अन्यथा यह माना जायेगा कि लेखा परीक्षा द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर उठाए गए विषयों पर न तो कोई स्पष्टीकरण है और न ही टिप्पणी अभ्युक्ति है।

अतः प्रधान लेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार का अर्द्धसरकारी पत्र के आलोक में वांछित Statements of Facts तैयार कराते हुए सभी संबंधितों - जिला समन्वयक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक को दिनांक 30 जून, 2020 को पूर्वाहन 11:30 बजे राज्य कार्यालय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में प्रतिवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

(बालामुरूगन डी॰)

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/149/20/122 **दिनांक :** 24.06.2020

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, सिवान, गया, पटना, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बालामुरूगन डी०)

24/06/2020

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/149/20/122 **दिनांक :** 24.06.2020

प्रतिलिपि : संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बालामुरूगन डी०)

24/06/2020

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/149/20/122 **दिनांक :** 24.06.2020

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, सिवान, गया, पटना, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(बालामुरूगन डी०)

24/06/2020

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/149/20/122 **दिनांक :** 24.06.2020

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(बालामुरूगन डी०)

24/6/2020

FC

24/06

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये Statements of Facts के अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने वाले जिला एवं प्रखंड की सूची

क्र०सं	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
1	सिवान	गोरैयाकोठी
2	गया	वजीरगंज
3	पटना	पालीगंज
4	मधुबनी	बेनीपट्टी
5	पूर्वी चम्पारण	मेहसी
6	सारण	छपरा सदर, गरखा, बनियापुर